

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181/2022-23/02360

दिनांक:यथा हस्ताक्षरित

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।

संस्था प्रधान,
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)
राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (समस्त)

विषय:—महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षण/
प्रवेश कार्य संचालन सत्र 2024-25 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 2024-25 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया/शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु समय-सारणी निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है। सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु अभिभावकों से आवेदन पत्र, ऑनलाईन (शालादर्पण/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाया जाकर लॉटरी, ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पादित कर प्रवेश किया जाना है। प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं व ऑनलाईन आवेदन के संबंध में दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

प्रवेश कार्यक्रम का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करावे।

क्र.स.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित तिथि/समयावधि
1	विज्ञप्ति जारी करना	06.05.2024
2	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समयावधि	07.05.2024 से 12.05.2024
3	प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची व कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना	13.05.2024
4	लॉटरी निकालने की तिथि	14.05.2024
5	लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	15.05.2024
6	प्रवेश कार्य	16.05.2024 से
7	शिक्षण प्रारम्भ	01.07.2024

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181/2022-23/02360

दिनांक:यथा हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्थान बीकानेर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) शिक्षा संकुल जयपुर।

RajKaj Ref
6699462

8. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (समस्त संभाग)।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (समस्त जिले)।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा (समस्त ब्लॉक)।
12. उपनिदेशक शालादर्पण, राज. स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं सहायक निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ प्रा.शि./मा.शि. राज. बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय विद्यालयों को शालादर्पण पोर्टल पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समयावधि में प्रवेश हेतु आवेदन शालादर्पण पोर्टल के होम पेज के माध्यम से ऑनलाईन किये जा सकें।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग कार्यालय हाजा।
15. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे प्रवेश के संबंध मे दिशा-निर्देश

1. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे सत्र 2024-25 के लिए नवीन प्रवेश का कार्य दिनांक 06.05.2024 से प्रारम्भ किया जाना है।
2. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमे प्री-प्राइमरी कक्षाएं/बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है उनमे कक्षा नर्सरी मे समस्त सीटो पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओं मे पूर्व कक्षाओं से क्रमोन्नत/उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।
3. ऐसे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां बाल वाटिकाएं संचालित नहीं है तथा जहां शुरुआती कक्षा, कक्षा प्रथम मे समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओं मे पूर्व कक्षाओं से क्रमोन्नत/उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।
4. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां सत्र 2023-24 मे कक्षा 1 से 5/कक्षा 1 से 6/कक्षा 1 से 9/ कक्षा 1 से 11 का संचालन किया जा रहा था वहां सत्र 2024-25 मे क्रमशः कक्षा 6/कक्षा 7/कक्षा 10/ कक्षा 12 अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जायेगा व उक्त कक्षाओं मे पूर्व मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. वर्तमान मे जिन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम संचालित है व जिनमे कक्षा 11, प्रथम बार संचालित की जानी है, मे संकाय स्वीकृति उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया के लिये बाद मे अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
6. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आर.टी.ई. के मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किये गये है। कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 6 से 8 मे 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 9 से 12 मे 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(15) शिक्षा-1/2022 जयपुर दिनांक 16.07.22 की पालना मे भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख से अधिक राशि के कार्य करवाये गये है अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमे 50 लाख से अधिक राशि का व्यय हुआ है, दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहो की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा मे अधिकतम 02 एवं सम्पूर्ण विद्यालय मे प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयो मे संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा।
8. इन विद्यालयों मे प्रति सेक्शन निर्धारित सीटो व उपरोक्तानुसार (क्र.स.-7) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नहीं रखा गया है।
9. प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से संपादित करवाये जाने हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा, जहां प्रधानाचार्य नहीं है, वहां वर्तमान पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान उक्त कार्य करेंगे।
10. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे सत्र 2024-25 के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय मे पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) नोडल अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा

अधिकारी द्वितीय (एसीबीईओ- π) नोडल अधिकारी होंगे, जिनकी देखरेख में प्रवेश कार्य संपादित किया जायेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद रिक्त होने की स्थिति में यह कार्य सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) द्वितीय करेंगे।

11. आवेदन पत्र ऑनलाईन (शालादर्पण पोर्टल/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाये जाकर लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाईन संपादित कर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसे संलग्न समय-सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके।
12. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/माध्य/मा-द /अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181 /2022-23/112 दिनांक 16.07.22 की पालना में रूपान्तरित विद्यालय में पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थियों में से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प देने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपान्तरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना अध्ययन नियमित रख सकेंगे।

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर